

# Haryana Government Gazette

## **EXTRAORDINARY**

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013 (PHALGUNA 15, 1934 SAKA)

#### HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

#### Notification

The 6th March, 2013

No. 11—HLA of 2013/15.—The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 11-HLA of 2013

# THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Short title. Act, 2013.

**Price: Rs. 5.00** (1305)

of 2006

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 9 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

"10.	Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University	District Gurgaon
11.	Jagan Nath University	Bahadurgarh (Haryana)
12.	G.D. Goenka University	Sohna Road, Gurgaon
13.	K.R. Mangalam University	Sohna Road, Gurgaon
14.	S.R.M. University	Sonepat (Haryana)".

Repeal and vavings.

- 3. (1) The Haryana Private Universities (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 1 of 2013), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Private Universities Act was enacted in the year 2006. Under the provisions of the above mentioned Act five proposals were received for the establishment of Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University at Gurgaon, Jagan Nath University at Bahadurgarh, G.D. Goenka University. Sohna Road, Gurgaon, K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon and SRM University. Sonepat for imparting instructions and providing higher education in various streams.

In order to alow the sponsoring body of the Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University to facilitate the start of the academic operations of the University in district Gurgaon from the next academic session, an Ordinance was promulgated to incorporate the name of the above mentioned University with location in the schedule appended with "The Haryana Private Universities Act, 2006" at Sr. No. 10. Now the Ordinance is required to be converted in to a Bill.

Further, to allow the sponsoring bodies of Jagan Nath University at Bahadurgarh, G.D. Goenka University, Sohna Road, Gurgaon, K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon and SRM University, Sonepat to facilitate the start of the academic operations of these Universities from the next academic session, a proposal has been formulated to incorporate the names of the above mentioned Universities with location in the schedule appended with "The Haryana Private Universities Act, 2006" at Sr. No. 11, 12, 13 & 14.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL, Education Minister, Haryana.

Chandigarh: The 6th March, 2013.

SUMIT KUMAR, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 11-एच० एल० ए०

### हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

## हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006. को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नःम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

२०३६ वे हरियाणः अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन। 2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006, की अनुसूची में, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों जोड़ दी जाएंगी. अर्थात :—

जिला गुड़गाँव
बहादुरगढ़ (हरियाणा)
सोहना रोड, गुड़गांव
सोहना रोड, गुड़गांव
सोनीपत (हरियाणा)"

निरमन तथा व्यावृत्ति।

- 3. (1) हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

## उददेश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, वर्ष 2006 में बनाया गया था। उक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विभिन्न धाराओं में उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने व निर्देश प्रदान करने हेतु श्री गुरु गोबिन्द सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय गुड़गांव में, जगननाथ विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ में, जी० डी० गोयन्का विश्वविद्यालय सोहना रोड गुड़गांव में, के० आर० मंगलम विश्वविद्यालय सोहना रोड गुड़गांव में क्थापित करने हेतु पांच प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

अगले शैक्षणिक सत्र से श्री गुरु गोबिन्द सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय को जिला गुड़गांव में विश्वविद्यालय को शैक्षणिक रूप से चालू करने की अनुमित देने हेतु "हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006" की संलग्न अनुसूची में क्रमांक 10 पर उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालय का नाम अध्यादेश के माध्यम से शामिल किया गया था। अब अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तित किया जाना है।

और अगले शैक्षणिक सन्न से जगननाथ विश्वविद्यालय बहादुगरद्र, जी० डी० गोयन्का विश्वविद्यालय सोहना रोड गुड़गांव, के० आर० मंगलम विश्वविद्यालय सोहना रोड गुड़गांव व एस० आर० एम० विश्वविद्यालय सोनीपत के प्रायोजक निकायों को इन विश्वविद्यालय को शैक्षणिक रूप से चालू करने के लिए अनुमति देने हेतु "हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006" की संलग्न अनुसूची में क्रमांक 11, 12, 13 व 14 पर उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों का नाम शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया जाता है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : 6 मार्च, 2013 सुमित कुमार, सचिव।